संख्या :19/2018/बी-2-1143/दस-2018

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 लखनऊः दिनाँक :17 दिसम्बर, 2018

विषय : शासकीय निर्माण कार्यों के सम्पादन के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या ई-8-372/दस-2010, दिनाँक 24 मई, 2010 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या 6/2015/ई-8-1320/दस-2015-53/2005, दिनाँक 18 नवम्बर, 2015 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि., लखनऊ को कतिपय शर्तों के अधीन तीन वर्षों के लिये राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित किया गया था ।

2- इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, भवन निर्माण कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि., लखनऊ को अनन्तिम रूप से उक्त प्रयोजन हेतु निम्न शर्तों के अधीन राजकीय निर्माण एजेन्सी के रूप में नामित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

(1) शासनादेश संख्या ई-8-372/दस-2010, दिनाँक 24 मई, 2010 के प्रस्तर-3(ख) में निर्धारित मानकीकृत भवनों की लागत सीमा रूपये 5.00 करोड़ तथा गैर मानकीकृत भवनों हेतु रूपये 2.50 करोड़ की लागत सीमा यथावत् रहेगी ।

(2) मानक के अनुसार वार्षिक टर्न ओवर, तकनीकी स्टाफ एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि., लखनऊ को अनन्तिम रूप से राजकीय निर्माण एजेन्सी नामित किया जाता है तथा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, तहसील के आवासीय / अनावासीय भवन, प्राथमिक विद्यालय / माध्यमिक विद्यालय, पशु चिकित्सालय भवन, सामान्य प्रकार के भवनों का निर्माण उक्त संस्था से कराया जा सकेगा एवं सामान्य से हटकर विशिष्ट प्रकार के भवनों यथा - सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, ट्रॉमा सेन्टर, उच्च कोटि के स्पोर्टस् स्टेडियम एवं तरणताल तथा बहुमंजिला भवन आदि जिनमें विशिष्ट प्रकार की तकनीकी क्षमता की आवश्यकता होती है, इस प्रकार के कार्यों को उक्त संस्था से वर्तमान में न कराया जाय ।

(3) संस्था द्वारा प्रत्येक वर्ष में सम्पादित कराये जाने वाले निर्माण कार्यों की समीक्षा प्रशासकीय विभाग (सहकारिता विभाग) द्वारा की जायेगी और उस पर अपनी आख्या / संस्तुति वित्त विभाग को उपलब्ध कराई जायेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) निर्माण एजेन्सी में वित्तीय अनुशासन एवं सम्पादित कार्यों में उच्च कोटि की गुणात्मकता को सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से लोक निर्माण विभाग द्वारा उनका निरीक्षण एवं गुणात्मक तथा मात्रात्मक अनुश्रवण किया जाये तथा इस बारे में त्रैमासिक आधार पर वित्त विभाग को अवगत कराया जाये ।

3- उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू माना जायेगा ।

भवदीय,

अनूप चन्द्र पाण्डेय
मुख्य सचिव ।

संख्या :19/2018/बी-2-1143(1)/दस-2018, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ ।
2. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
4. मुख्य अभियन्ता एवं निदेशक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि., लखनऊ ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।
7. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि., लखनऊ ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लि., लखनऊ ।
9. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि., लखनऊ ।
10. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लि., लखनऊ ।
11. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि., लखनऊ ।
12. निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ ।
13. वित्त विभाग के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग ।
14. विभागीय आदेश पत्रावली ।

आज्ञा से,

राजीव श्रीवास्तव
विशेष सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in